

अधिकारी संख्या: 1484 / कोकोसितो:
दिनांक: 14/02/25

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
राज्य बाँध सुरक्षा संगठन एवं नोडल अधिकारी एस0पी0एम0यू0
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0,
वाल्मी भवन, तेलीवाग, लखनऊ

पत्रांक /मु0अ0रा0बाँ0सु0सं0/बजट (सामान्य अनुरक्षण)/ दिनांक: फरवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व लेखा के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-207/2024/-/001-869-24-27-51-9-33SAV-24, दिनांक 03.06.2024 एवं 30प्र0 शासन के पत्र संख्या-500/2024/001-697-24-27-सिं-9-33 एसएवी-24 दिनांक 31.07.2024 से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (आय-व्ययक अनुभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4275/ आई0वी0/108बी-22ए/अनु0-94/रा0ले0प्रदिष्टि/2024-25 दिनांक 13.01.2025 द्वारा निम्नांकित लेखाशीर्षक उपशीर्षक मद के अन्तर्गत इस संगठन को वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्राधिकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (पश्चिम), मेरठ द्वारा चतुर्थ त्रैमास हेतु प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर यमुना संगठन के नियंत्रणाधीन खण्ड को निम्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्दिष्ट लेखाशीर्षक में व्यय किये जाने हेतु धनराशि एतद्वारा आवंटित की जाती है:-

क्र0सं0	निर्दिष्ट बाँध	खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3	4
	अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 2700-मुख्य सिंचाई 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 06-निर्दिष्ट बाँधों के (बाँध/वैराज/बंघी/वियर/लेक)आपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस 29-अनुरक्षण		
1	ओखला वैराज	हेडवर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला,	180.00
2	हिण्डन वैराज	गौतमबुद्ध नगर	80.00
		कुल योग-(2700)	260.00

(रुपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)

नोट:(1) उपरोक्त आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 03.06.2024 एवं 31.07.2024 तथा प्रमुख अभियन्ता (आय-व्ययक अनुभाग) के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 13.01.2025 में अंकित नियमों शर्तों के अधीन किया गया है।

(2) उपरोक्त आवंटित धनराशि को बाँध सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं जल भण्डारण क्षमता पुनर्स्थापन में लाभकारी कार्यों हेतु व्यय किया जाये। निर्दिष्ट बाँधों पर यथा संभव आवश्यकतानुसार इन्टरमेन्टेशन के कार्यों को शामिल किया जाये।

ज्ञानेन्द्र शरण
मुख्य अभियन्ता (रा0बाँ0सु0सं0)

पत्रांक 401 /मु0अ0रा0बाँ0सु0सं0/ बजट (सामान्य अनुरक्षण)/तददिनांक: 04/02/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1/2), 30प्र0, प्रयागराज।
- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1/2), 30प्र0, प्रयागराज।
- मुख्य अभियन्ता स्तर-1, (तकनीकी सलाहकार-बाँध सुरक्षा), लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (पश्चिम), मेरठ को उनके पत्रांक-106/मु0अ0पश्चिम/धन की माँग/तृतीय मण्डल, दिनांक 13.01.2025 के संदर्भ में।
- मुख्य अभियन्ता (यमुना), ओखला को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश सं0-95/022/853/22-27-सिं-9-12एसएवी/22 दिनांक 18.05.2022 के संलग्न प्रपत्र-2 के अनुसार ऑनलाइन अन्तरण हेतु माँग पत्र इस कार्यालय को अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
- अधीक्षण अभियन्ता, (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (रुहेलखण्ड), बाँध सुरक्षा मण्डल, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य, आगरा।
- अधीक्षणी अभियन्ता, हेडवर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला।

शीर्षक माँगा, DS-#

ज्ञानेन्द्र शरण
मुख्य अभियन्ता (रा0बाँ0सु0सं0)
03/02/25

nic mail
14/02/25

Free L... 1/1/...